राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.8(ग)( ) नियम/01B/21/68664 जयपुर,दिनांकः 27.09.21

आदेश

प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 में प्रकरणो के निस्तारण हेतु विभिन्न प्रकरणो जैसे मानचित्र अनुमोदन, भू–पट्टी आवंटन, पट्टा जारी करने आदि के लिये नगरीय निकायो में निम्नानुसार एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाता हैः–

1. नगर निगमों/परिषदो/पालिकाओं के लिएः–

प्रशासन शहरो के संग अभियान – 2021 के दौरान विभिन्न प्रकरणो के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 की उप धारा (6) सहपठित धारा 337 की उपधारा (1) एवं (2) के खण्ड (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69–ए, 71, 73, 118, 121, 171, 183, 189, 174, 194 (194 की उपधारा (7) के खण्ड (2) एवं उपधारा (12) को छोडकर) 202, 207, 242, 243, 244, 245, 254, 258, 259, 269, 282, 287, 288, 299 एवं 306 के अन्तर्गत मण्डल को प्रदत्त शक्तियां एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित करती है।

योजना की अवधि के दौरान उपरोक्त वर्णित धाराओं के अन्तर्गत प्रत्यायोजित शक्तियो का उपयोग करने तथा मानचित्र अनुमोदन, भू–पट्टी आवंटन एवं निर्माणो के नियमन आदि कार्यो तथा राजस्थान नगरपालिका (सामग्री क्रय एवं संविदा) नियम, 1974 में मण्डल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्वरित निस्तारण हेतु नगरीय निकायो के लिए एम्पावर्ड कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता हैः–

(i) निकाय के मेयर/सभापति/अध्यक्ष	–	अध्यक्ष
(ii) निकाय में कार्यरत वरिष्ठतम नगर नियोजक	–	सदस्य
(iii) निकाय में कार्यरत वरिष्ठतम अभियन्ता	–	सदस्य
(iv) मुख्य नगर पालिका अधिकारी	–	सदस्य सचिव

इसके अतिरिक्त नगर सुधार न्यास/विकास प्राधिकरण में एम्पावर्ड कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाता हैः–

2. नगर सुधार न्यास हेतुः–

(i) न्यास अध्यक्ष (न्यास अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव, न्यास)	–	अध्यक्ष
(ii) न्यास सचिव	–	सदस्य

Scanned by TapScanner

(समिति की अध्यक्षता न्यास अध्यक्ष
द्वारा किये जाने की स्थिति में)

(iii) न्यास में कार्यरत वरिष्ठतम नगर नियोजक — सदस्य
(iv) न्यास में कार्यरत वरिष्ठतम अभियन्ता — सदस्य
(v) न्यास में कार्यरत तहसीलदार — सदस्य
(vi) न्यास के उप सचिव / विशेषाधिकारी — सदस्य सचिव

3. **जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण हेतु:–**

(i) प्राधिकरण के अध्यक्ष — अध्यक्ष
(अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आयुक्त)
(ii) प्राधिकरण के आयुक्त — सदस्य
(समिति की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष
द्वारा किये जाने की स्थिति में)
(iii) प्राधिकरण में कार्यरत वरिष्ठतम नगर नियोजक — सदस्य
(iv) प्राधिकरण में कार्यरत वरिष्ठतम अभियन्ता — सदस्य
(v) प्राधिकरण जोन से संबंधित अतिरिक्त / उपायुक्त — सदस्य
(vi) प्राधिकरण के सचिव — सदस्य सचिव

4. **जयपुर विकास प्राधिकरण हेतु:–**

(i) प्राधिकरण के अध्यक्ष — अध्यक्ष
(अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आयुक्त)
(ii) प्राधिकरण के आयुक्त — सदस्य
(समिति की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष
द्वारा किये जाने की स्थिति में)
(iii) प्राधिकरण में कार्यरत वरिष्ठतम नगर नियोजक — सदस्य
(iv) प्राधिकरण में कार्यरत वरिष्ठतम अभियन्ता — सदस्य
(v) प्राधिकरण जोन से संबंधित अतिरिक्त / उपायुक्त — सदस्य
(vi) प्राधिकरण के सचिव — सदस्य सचिव

नोट:–

(i) उपरोक्त एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा आवश्यकता अनुरूप विधि अधिकारी / लेखाधिकारी को विशेष आमन्त्रित सदस्य के रूप में आमन्त्रित किया जा सकेगा।

(ii) जिन नगरीय निकायों में नगर नियोजन अधिकारी पदस्थापित नही है, तो संबंधित जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग अथवा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान द्वारा अधिकृत नगर नियोजक को सदस्य के रूप में आमन्त्रित किया जा सकेगा।

Scanned by TapScanner

(iii) उपरोक्त एम्पावर्ड कमेटी में न्यूनतम 3 सदस्यों का कोरम होगा, तथा उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिये जावेगें। अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित नही हो पाने की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। कमेटी के सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि कमेटी की बैठक के दिन ही बैठक कार्यवाही विवरण जारी किया जाकर प्रति निकाय की वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।

(iv) समस्त निकायों द्वारा अभियान अवधि के दौरान प्रत्येक सप्ताह में कम से कम पांच बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जावेगी, जिसमें अन्य ऐजेण्डा के साथ–साथ अभियान की तैयारियों एवं प्रगति की समीक्षा का स्थायी एजेण्डा भी रखा जावेगा।

(v) नगर निगमो में एम्पावर्ड समिति द्वारा जोन स्तरीय समिति गठित की जाकर उनको अधिकार/शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा सकेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव

(दीपक नंदी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः प.8(ग)( )नियम/03/21/68665–69154 जयपुर,दिनांकः 27.09.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
6. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
8. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
9. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं समस्त राजस्थान।
10. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं, समस्त राजस्थान।
11. जनसंपर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रकाशन करवाने हेतु।
12. प्रभारी मोनिटरिंग सेल को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. अधीक्षक, केद्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned by TapScanner